नियम 65 : अभिलेख का परिरक्षण

(1) अपील अधिकरण द्वारा निपटाई गई याचिकाओं या आवेदनों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख इन नियमों में दिए गए अनुसार संगृहीत या बनाए रखे जाएंगे और अभिलेख कक्ष में रखे गए अन्य भौतिक अभिलेख अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी, अपील अधिकरण द्वारा निपटाई गई याचिकाओं या आवेदनों का अभिलेख, जिसमें अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश और निर्देश सम्मिलित है, अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात् पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए अपील अधिकरण की रजिस्ट्री द्वारा बनाए रखा जाएगा।